

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT  
SAMARPITHA



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



04/04/2013  
Permanent Account Number  
AANTS3430M

02112013

इस कार्ड के खोले / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाएं :  
आयकर पैन सेवा इकाई, एन एस डी एल  
5 वी मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,  
मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास,  
पुणे - 411 016.

*If this card is lost / someone's lost card is found,  
please inform / return to :*  
Income Tax PAN Services Unit, NSDL  
5th floor, Mantri Sterling,  
Plot No. 341, Survey No. 997/8,  
Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk,  
Pune - 411 016.  
Tel: 91-20-2721 8080, Fax: 91-20-2721 8081  
e-mail: [tininfo@nsdl.co.in](mailto:tininfo@nsdl.co.in)

## INCOME TAX PAN SERVICES UNIT

(Managed by NSDL e-Governance Infrastructure Limited)

5<sup>th</sup> Floor, Mantri Sterling, Plot No. 341, Survey No. 997/8, Model Colony,  
Near Deep Bungalow Chowk, Pune – 411 016.

F. No. DIT(S)/PAN/ITMN\_REG

The Income Tax Department takes pleasure in informing that the  
Pan card number (PAN)

**AANTS3430M**

and the PAN card is enclosed herewith. For filling the return of income, please contact :

**ITO WARD 1(1), MYSORE**

We wish to inform you that quoting of PAN on return of income and challans for payment of taxes is necessary to ensure accurate credit of taxes paid by you and faster processing of return of income. Please quote PAN in all communications with department as it helps to improve taxpayer services.

We may inform that it is **mandatory to quote PAN** in several transactions specified under the Income Tax Act, 1961. For details of such transactions, reference is invited to rule 114B of the Income Tax Rules, 1962 read with section 139A of the Income Tax Act, 1961.

In the unlikely event of **more than one PAN being allotted**, this fact should be brought to the notice of your Assessing Officer, as **possessing or using more than one PAN is against the law** and may attract **penalty of upto Rs. 10,000/-**.

Any error in the data printed on your PAN Card may be brought to the notice of IT PAN Services Unit at the address given above or on the reverse of the PAN Card.

Income Tax Department maintains a website - [www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in) and Aayakar Sampark Kendra (Phone - 1800 - 180 - 1961) for providing information and services to citizens. This site contains detailed information on PAN also.

Income Tax Department

PKG ID : PRC17407501 / 283 / 285 / 02/11/2013 / FFL



KAR / 321 / 507397000871823111 / 100458910

**SAMARPITHA**

SAMARPITHA  
HIG 44  
23RD CROSS  
E BLOCK  
3RD STAGE VIJAYA NAGAR  
MYSORE  
KARNATAKA - 570014  
TEL. NO.:91 - 8050239039

(This being a computer-generated letter, no signature is required)

**आयकर पै न सेवा इकाई**  
(एनएसडीएल ई-गवर्नेस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा संचालित)  
5 वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,  
मॉडल कालोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे - 411 016.

फ.स.:डी.आई.टी.(एस)/पै न/आईटीएमएन\_आरइजी

आयकर विभाग को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपको निम्नलिखित स्थायी लेखा संख्या (पै न) आबंटित की गयी है :

**AANTS3430M**

पै न कार्ड इसके साथ संलग्न है। आयकर विवरणी दाखिल करने के लिये कृपया निम्न से संपर्क करें :

**ITO WARD 1(1), MYSORE**

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आय विवरणी तथा करों के भुगतान के लिए प्रयुक्त चालानों में पै न का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि आपके द्वारा भुगतान किये गये करों का सही जमा (क्रेडिट) सुनिश्चित किया जा सके और आयकर विवरणी पर शीघ्र कार्यवाही की जा सके। आयकर विभाग के साथ पत्र-व्यवहार में पै न का उल्लेख करने से करदाता सेवाओं में सुधार लाने में हमें सहायता मिलेगी।

हम सूचित करते हैं कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनेक संव्यवहारों में पै न का उल्लेख करना अनिवार्य है। ऐसे संव्यवहारों के विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए के साथ पठित आयकर नियम, 1962 के नियम 114 बी का अवलोकन करें।

एक से अधिक पै न आबंटित होने की असंभावित स्थिति में इस तथ्य को अपने कर-निर्धारण अधिकारी की जानकारी में अवश्य लायें क्योंकि एक से अधिक पै न रखना या उसका प्रयोग करना कानून के विरुद्ध है और इसके लिये 10,000 रुपये तक दंड लगाया जा सकता है।

यदि आपके पै न कार्ड पर मुद्रित विवरण में कोई त्रुटि हो तो उसे आयकर पै न सेवा इकाई के उपर्युक्त पते पर अथवा पै न कार्ड के पीछे दिये गये पते पर सूचित कर सकते हैं।

नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आयकर विभाग की वेबसाइट - [www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in) देखें या आयकर संपर्क केन्द्र (फोन - 1800 - 180 - 1961) से संपर्क करें। इस साईट पर पै न पर विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध है।

आयकर विभाग

PKG ID: PRC17407501 / 283 / 285 / 2/11/2013 / FFL



KAR / 321 / 507397000871823111 / 100458910

**समर्पिता**

समर्पिता

एचआईजी 44, 23RD क्रॉस,  
इ ब्लॉक, 3RD स्टेज विजया नगर,  
मैसूर, कर्नाटक - 570014  
TEL. NO. : 91 - 8050239039

यदि आप हिन्दी में मुद्रित नाम और पते में सुधार करना चाहते हैं तो कृपया अपने कर-निर्धारण अधिकारी से संपर्क करें।  
( यह कंप्यूटर से तैयार पत्र है, अतः हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है )